



राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

संख्या-प.नि.-30-158/2021.....

4383

प्रेषक,

दिनेश कुमार
संयुक्त सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-जिला
निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत),
औरंगाबाद

पटना, दिनांक- 23/12/23

विषय :- पंचायत उप निर्वाचन, 2023; हेतु सहायक मतदान केन्द्रों के अनुमोदन के संबंध में।

प्रसंग :- आपका 2505 दिनांक-22.12.2023

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके प्रासंगिक पत्र से प्राप्त सहायक मतदान केन्द्र के गठन के प्रस्ताव की जाँच के पश्चात बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम-26 के अन्तर्गत स्तंभ-5 में अंकित मतदान केन्द्र की संख्या पर राज्य निर्वाचन आयोग का अनुमोदन संसूचित किया जाता है।

क्र० सं०	प्रखंड का नाम	संशोधित मतदान केन्द्रों की संख्या	सहायक मतदान केन्द्रों की संख्या	कुल मतदान केन्द्रों की संख्या
1	2	3	4	5
1	नबीनगर	0	1	1

2. मदनपुर प्रखंड के मतदान केन्द्र संख्या-256(क) का अनुमोदन आयोग के पत्रांक-1378 दिनांक-09.03.2021 द्वारा पूर्व में ही दिया गया है, जिससे पुनः अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है (पत्र की प्रति संलग्न)।

3. मतदान केन्द्रों की सूची बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम-27 के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी हेतु नियम-8 के उप नियम (1) के विहित रीति से प्रकाशित की जाए तथा उसकी सूचना आयोग को दी जाए।

अनु०-यथोक्त।

विश्वासभाजन

[Signature]
23/12/23

संयुक्त सचिव।

ज्ञाप संख्या- प.नि.-30-158/2021.....

4383

पटना, दिनांक 23/12/23

प्रतिलिपि:- आई.टी. मैनेजर, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि सहायक मतदान की सूची को आयोग के वेबसाइट पर अपलोड करें।

[Signature]
23/12/23

संयुक्त सचिव।

ज्ञाप संख्या- प.नि.-30-158/2021.....⁴³⁸³

प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त मगध प्रमंडल गया को सूचनार्थ प्रेषित।

पटना, दिनांक 23/12/23

[Signature]
23/12/23

संयुक्त सचिव।

ज्ञाप संख्या- प.नि.-30-158/2021.....⁴³⁸³

प्रतिलिपि:- अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

पटना, दिनांक 23/12/23

[Signature]
23/12/23

संयुक्त सचिव।

पंचायत आम निर्वाचन- 2021
अति महत्वपूर्ण

153

संख्या-प0नि0 30-158/2021 1378



राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

प्रेषक,

योगेन्द्र राम,
सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी-सह-जिला
निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
औरंगाबाद।

पटना, दिनांक- 9.3.21

विषय :- पंचायत आम निर्वाचन, 2021 संशोधित एवं सहायक मतदान केन्द्रों पर आयोग का अनुमोदन के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक-545, दिनांक-27.02.2021

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक आपके प्रासंगिक पत्र से प्राप्त संशोधित एवं सहायक मतदान केन्द्रों के गठन के प्रस्ताव की जाँच के पश्चात् बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावाली, 2006 के नियम-26 के अन्तर्गत स्तंभ-5 में अंकित मतदान केन्द्रों की संख्या पर राज्य निर्वाचन आयोग का अनुमोदन संसूचित किया जाता है।

क्र० सं०	प्रखंड का नाम	संशोधित मतदान केन्द्रों की संख्या	सहायक मतदान केन्द्रों की कुल संख्या	आयोग द्वारा अनुमोदित मतदान केन्द्रों की कुल संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
1	ओबरा	3	8	11	मतदान सं०-32(क), 89(क), 90(क), 95(क), 105(क), 122(क), 147(क), 184(क), 237(क) पर 850 से कम मतदाता रहने के कारण विलोपन के प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाता है।
2	औरंगाबाद	4	2	6	मतदान सं०-20(क), 33(क), 79(क), 84(क), 199(क), पर 850 से कम मतदाता रहने के कारण विलोपन के प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाता है।
3	कुटुम्बा	5	3	8	मतदान सं०-39(क), 151(क) पर 850 से कम मतदाता रहने के कारण विलोपन के प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाता है।

4	गोह	32	12	44	मतदान 138(क), 202 पर 850 से विलोपन के
5	देव	5	1	6	मतदान सं०-2 157(क), 167(क) रहने के कारण अनुमोदित
6	दाउदनगर	4	1	5	मतदान सं०-55(क), रहने के कारण विलोपन अनुमोदित किया
7	नविनगर	15	9	24	मतदान सं०-61(क), 125(क), 274(क), 155(क), पर 850 रहने के कारण विलोपन अनुमोदित किया जा
8	बारूण	6	3	9	मतदान सं०-85(क), 96(क), 1 189(क), पर 850 से कम मतदा कारण विलोपन के प्रस्ताव को किया जाता है।
9	मदनपुर	17	14	31	मतदान सं०-218(क), 224(क), 2 68(क) पर 850 से कम मतदाता कारण विलोपन के प्रस्ताव को अनु किया जाता है।
10	रफीगंज	7	0	7	मतदान सं०-27(क), 49(क), 123(क), 127(क), 162(क), 225(क), 293(क), 8 पर 850 से कम मतदाता रहने के कारण विलोपन के प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाता है।
11	हसपुरा	8	2	10	मतदान सं०-31(क), 107(क), 141(क), 166(क), 171(क), 180(क), 195(क) पर 850 से कम मतदाता रहने के कारण विलोपन के प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाता है।
कुल		106	55	161	

2. ओबरा प्रखंड के मतदान सं०-32(क), 89(क), 90(क), 95(क), 105(क), 122(क), 147(क), 184(क), 237(क) पर 850 से कम मतदाता रहने के कारण विलोपन के प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाता है।

औरंगाबाद प्रखंड के मतदान सं०-20(क), 33(क), 79(क), 84(क), 199(क), पर 850 से कम मतदाता रहने के कारण विलोपन के प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाता है।

कुटुम्बा प्रखंड के मतदान सं०-39(क), 151(क) पर 850 से कम मतदाता रहने के कारण विलोपन के प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाता है।

गोह प्रखंड के मतदान सं०-45(क), 87(क), 126(क), 138(क), 202(क), 236(क), 260(क), 275(क), पर 850 से कम मतदाता रहने के कारण विलोपन किया गया है।

देव प्रखंड के मतदान सं०-29(क), 132(क), 142(क), 157(क), 167(क), पर 850 से कम मतदाता रहने के कारण विलोपन के प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाता है।

दाउदनगर प्रखंड के मतदान सं०-55(क), पर 850 से कम मतदाता रहने के कारण विलोपन के प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाता है।

नवीनगर प्रखंड के मतदान सं०-61(क), 127(क), 241(क), 274(क), 155(क), पर 850 मतदाता रहने के कारण विलोपन के प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाता है।

बारुण प्रखंड के मतदान सं०-85(क), 96(क), 115(क), 174(क), 189(क), पर 850 से मतदाता रहने के कारण विलोपन के प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाता है।

मदनपुर प्रखंड के मतदान सं०-218(क), 224(क), 225(क), 68(क) पर 850 से कम मतदाता रहने के कारण विलोपन के प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाता है।

रफीगंज प्रखंड के मतदान सं०-27(क), 49(क), 123(क), 127(क), 162(क), 225(क), 243(क), 8(क), पर 850 से कम मतदाता रहने के कारण विलोपन के प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाता है।

हसपुरा प्रखंड के मतदान सं०-31(क), 107(क), 141(क), 166(क), 171(क), 180(क), 195(क) पर 850 से कम मतदाता रहने के कारण विलोपन के प्रस्ताव को अनुमोदित किया जाता है।

3. पूर्व से अनुमोदित एवं अद्यतन अनुमोदित मतदान केन्द्रों की सूची बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम-27 के अनुसार सर्वसाधारण की जानकारी हेतु नियम-8 के उप नियम (1) में विहित रीति से प्रकाशित की जाए तथा उसकी सूचना आयोग को दी जाए।

विश्वासभाजन



सचिव।

ज्ञापांक-.....1378...../-

पटना, दिनांक-.....9.3.21...../-

प्रतिलिपि:- आई.टी. मैनेजर, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि संशोधित एवं सहायक मतदान केन्द्रों की सूची को आयोग के वेबसाईट पर अपलोड करे।



सचिव।

6.3.21